# स्थायी लोक अदालत (जन उपयोगी सेवाएं) बुलन्दशहर

(विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा–22 बी0 के अन्तर्गत गठित)

उपस्थितः श्री बृजराज सिंह, अध्यक्ष।
श्री योगेशचन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य।
श्रीमती आयशा परवीन, सदस्य।

पी0 एल0 ए0 प्रार्थनापत्र संख्या–47/2014

Rajat Singh Jain aged 45 years, son of late Sri Narendra Singh Jain, resident of J-5, Judge's colony, near Teachers Colony, Bulandshahr. -Applicant

Versus

M/s. United India Assurance Co. Ltd. Through The Branch Manager, Bulandshahr, 26, Civil Lines, near Meerut Bus Stand, Bulandshahr. -Non-Applicant.

25.08.2014

## विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम,1987 की धारा–22सी (7) के अन्तर्गत इस न्यायालय द्वारा दिया गया सुझाव

प्रार्थनापत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं कि–

आवेदक की कार नम्बर–डी0एल0 4 सी0यू0–8572 के पिछले बीमे की अवधि दिनांक 21.03.2013 को समाप्त हो गयी थी। भविष्य की अवधि के लिए बीमा कराने के लिए विपक्षी के एजेंट श्री डी0के0 अग्रवाल से सम्पर्क किया। वह सर्वेयर के साथ गाड़ी का निरीक्षण करने आया, गाड़ी का निरीक्षण किया। पिछली बीमा पॉलिसी की प्रतिलिपि उन्हें दे दी गयी थी तथा प्रीमियम की धनराशि रू0 6030/– भी दी गयी। कुछ दिन पश्चात श्री डी0के0 अग्रवाल ने रू0 910/– एवं बीमा पॉलिसी आवेदक को दे दिये। आवेदक ने No Claim Bonus देने के लिए कभी नहीं कहा। बीमा पॉलिसी संख्या–222023113P 100622523 दिनांक 30.04.2013 से दिनांक 29.04.2014 तक की अवधि के लिए जारी की गयी। इसके पश्चात दिनांक 15.05.2013 को यह वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसकी सूचना विपक्षी को दी गयी तथा विपक्षी के सर्वेयर की सलाह पर अनिल मोटर जौनपुर से वाहन ठीक कराया गया। इस वाहन को ठीक कराने पर आवेदक का रू0 93000/– का व्यय हुआ एवं सर्वेयर श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव को रू0 5700/– फीस भी दी गयी। विपक्षी ने काफी लम्बे समय तक आवेदक के क्लेम का निस्तारण नहीं किया। इसके पश्चात क्लेम इस

Aisha Y.Srivastava B. R. Singh

लोक अदालत कार्यालय बुलन्दशहर

आधार पर निरस्त कर दिया कि पिछली बीमा पॉलिसी की अवधि में क्लेम लिया गया था। अतः वर्तमान पॉलिसी जारी करते समय No Claim Bonus गलत Claim किया था। IRDA द्वारा Indian Motor Tariff के संबंध में जारी नियमावली के नियम GR 27 Clause (F) के अनुसार No Claim Bonus के लिए वाहन मालिक से लिखित प्रमाण लेना चाहिए। ऐसा कोई दस्तावेज आवेदक ने प्रस्तुत नहीं किया था। विपक्षी ने गलत तथ्यों के आधार पर आवेदक का Claim निरस्त किया था अतः रू0 98700/– ब्याज एवं खर्चा सहित दिलाये जाने के लिए यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रतिवादपत्र 21ए में यह आधार लिया गया है कि परिवादी द्वारा बीमा कम्पनी को Policy क्रय करते समय यह अवगत नहीं कराया गया था कि उसके द्वारा वाहन की पूर्व की Policy पर Claim लिया गया था। यदि इस तथ्य को परिवादी बताता है तो विपक्षी कम्पनी "No Claim Bonus" प्रदान नहीं करती। आवेदक के विश्वास पर ही No Claim Bonus दिया गया था। गलत तथ्यों के आधार पर यह बीमा कराया गया था। वाहन दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने के पश्चात श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव को सर्वेयर नियुक्त किया गया था। सर्वेयर ने रू0 61441/– की क्षति मानते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। आवेदक विपक्षी से कोई क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

प्रतिवादपत्र प्रस्तुत होने के पश्चात उभयपक्ष को अपने केस के समर्थन में साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया।

आवेदक की तरफ से प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत किया गया एवं फेहरिस्त 5सी के द्वारा कुल 9 दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

विपक्षी की तरफ से प्रतिवादपत्र के साथ, पत्र दिनांकित 16.05.2013, सर्वेयर रिपोर्ट, बीमा एजेंट डी0के0 अग्रवाल के पत्र दिनांकित 10.03.2014 एवं अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी हैं।

उभयपक्ष के विद्वान प्रतिनिधिगण के मध्य समझौता वार्ता करायी गयी, उभयपक्ष के सुझाव सुने गये एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

आवेदक की तरफ से तर्क दिया गया है कि दुर्घटनाग्रस्त बीमित वाहन की पूर्व पॉलिसी की अवधि दिनांक 21.03.2013 को ही समाप्त हो चुकी थी। वर्तमान बीमा दिनांक 30.04.2013 को विपक्षी के एजेंट द्वारा किया गया था तथा बीमा की अवधि पहले ही समाप्त हो जाने के कारण सर्वे कराया गया था और वाहन को निरीक्षण किया गया। ऐसे प्रकरण में No Claim Bonus दिये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। विपक्षी या उसके एजेंट ने जानबूझकर भविष्य में दायर होने

वाले किसी Claim की अदायगी से बचने के लिए पॉलिसी में No Claim Bonus गलत अंकित कर दिया है।

आवेदक की तरफ से माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा रिट (सी) नम्बर– 65214/2013 के प्रकरण में दिनांक 28.11.2013 को पारित किये गये निर्णय का भी उल्लेख किया गया है। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इस रूलिंग में निम्नलिखित निष्कर्ष दिया गया है–

".....Admittedly, the petitioner had issued the policy with open eyes after taking a premium and now cannot turn around and contend that the document in support of the Insurance Company was subsequently found to be forged. It is strange that the documents on the basis of which the insurance was taken was not verified by the insurance Company at the time when the policy was granted. This is patent failure on the part of the Insurance Company for which they alone are responsible ....."

सर्वेयर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। इस रिपोर्ट में कुछ मदों में 40% Depreciation एवं कुछ मदों में 50% Depreciation काटकर रू0 61441/– की क्षति का आकलन किया गया है, रू0 5700/– आवेदक द्वारा सर्वेयर को भी दिये गये। बीमित वाहन का मॉडल सन् 2007 का है।

उपरोक्त परिस्थितियों में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा–22सी (7) के अन्तर्गत यह सुझाव दिया जाता है कि विपक्षी अन्दर एक माह बीमित वाहन में हुई क्षति का मूल्य रू0 67141/– आवेदक को अदा करे।

उभयपक्ष इस सुझाव के सम्बन्ध में अग्रिम तारीख तक लिखित प्रेक्षण प्रस्तुत करें। अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 09.09.2014 नियत की जाती है। इस सुझाव की प्रतिलिपि उभयपक्ष को दी जाये।

25/8/14
सदस्या
स्थायी लोक अदालत
बुलन्दशहर।

25.8.14
सदस्य
स्थायी लोक अदालत
बुलन्दशहर।

25.8.14
अध्यक्ष
स्थायी लोक अदालत
बुलन्दशहर।

राष्ट्रीय लोक अदालत कार्यालय बुलन्दशहर

सत्य प्रतिलिपि

26-8-14
Steno
Permanent Lok Adalat
Bulandshahr